हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज दिलीप डागा बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 179 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिलीप डागा एडवोकेट पता म.नं.68, बद्री विहार लालसागर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.08.17. में उसके द्वारा (1) प्राधिकृत अधिकारी, कृषि भूमि रूपान्तरण जोधपुर कार्यालय से नं.3778 रोकड़ जमा दिनांक 24.05.90 रूपान्तरण शुल्क 7435/– की प्रमाणि प्रति एवं विकास शुल्क 1800/–रूपये का रोकड़ की 2179 की प्रमाणित प्रति व चालान की प्रमाणित प्रति राणाराम पुत्र चौथाराम नि0 जोधपुर ख.नं. 805/769 जोधपुर में 300 वर्गगज, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुरं) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1596 दिनांक 24.11.17 रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अवगत कराया कि प्रभारी अधिकारी, अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1579 दिनांक 22.11.17 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि जिला अभिलेखागार में चालानवार रेकर्ड जमा नहीं होता है। भूमि रूपान्तरण प्रकरण संख्या, वर्ष एवं निस्तारित तिथी का उल्लेख नहीं होने के कारण मूल रिकॉर्ड तलाश किया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है, परन्तु विलम्ब से सूचित किया गया अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में किया जावे। अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	

2203 – 2204